न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 विविध ~~के~~/16 विविध 9040-II-16

श्रीमती उर्मिला सिंह ——— आवेदिका

विरुद्ध

म0 प्र0 शासन ——— अनावेदक

भूल–सुधार वावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान महोदय,

आवेदिका की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :–

1– यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 871–दो/16 में दिनांक 14.03.16 को अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश के पृष्ठ कमांक 1 के पैरा 3 के लाइन नं. 2 में 24/05/2009 के स्थान पर 24/05/2003 टंकित हो गया है ।

अतः मान0 न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के पृष्ठ कमांक 1 के पैरा 3 के लाइन नं. 2 में संशोधन कर दिनांक 24/05/2003 के स्थान पर 24/05/2009 करने की कृपा करें ।

इति दिनांक 05/04/16

स्थान– ग्वालियर

द्वारा अभिभाषक

R.V. Sharma

~~रजनी वशिष्ठ शर्मा~~

एडवोकेट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9040–दो/16 जिला –छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
7–4–16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर भूल सुधार आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि निगरानी प्र0क0 545–दो/16 में पारित आदेश दिनांक 16.2.16 में भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश के पृष्ठ कमांक 2 के पैरा–2 लाईन न0 3 खसरा न0 5192 में के स्थान पर 5792 टंकित हो गया है। 2– आवेदक के अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश के पृष्ठ कमांक–2 के पैरा–2 के लाईन न0 3 खसरा न0 5792 के स्थान पर खसरा न0 5192 पढ़ा जावे। सदस्य	